

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस., जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

प्रकरण संख्या :- 05/2023 (जी.सी.एम.एस. न० 2023/96)

उनवानी प्रकरण :-

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर

प्रार्थी

बनाम

अमरसिंह पुत्र श्री बट्टी जाति प्रजापति उम्र 32 वर्ष निवासी वैदल पाडा कस्वा सरमथुरा  
थाना सरमथुरा जिला धौलपुर

अप्रार्थी

इस्तगासा अंतर्गत धारा 3, राज० गुण्डा  
नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :-

- 1- प्रार्थी की ओर से :- सुश्री दिव्या कमठान अभियोजन अधिकारी।  
2- अप्रार्थी की ओर से :- श्री हरिवीर सिंह अभिभाषक।



आदेश

दिनांक 07.07.2025

जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से थानाधिकारी, थाना सरमथुरा जिला धौलपुर से प्राप्त इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरुद्ध अप्रार्थी अमरसिंह पुत्र श्री बट्टी जाति प्रजापति उम्र 32 वर्ष निवासी वैदलपाडा कस्वा सरमथुरा थाना सरमथुरा जिला धौलपुर इस आशय का प्रस्तुत किया, कि अप्रार्थी अब्बल दर्जे का आदतन सट्टा/जुआ खेलने का आदि है जो रूपयों पैसों का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टेबाजी करते हुये कई बार पकडा गया है। अप्रार्थी को बार-बार जुआ खलते हुये गिरफ्तार करने, उसके विरुद्ध चालान पेश न्यायालय में करने माननीय न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार अर्थ दण्ड से दण्डित करने के बावजूद भी वह अपनी हरकतों व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा रहा है बल्कि बिना किसी कानून के भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप से करता चला आ रहा है जिससे एक ओर जहाँ वह स्वयं को इलाका का सट्टा किंग घोषित कर आम जनता में भय का माहौल उत्पन्न कर रहा है ऐसे अपराधी का खुले रूप में घूमना आम जनता के जान माल की सुरक्षा हेतु असुरक्षित रहता है। अप्रार्थी के विरुद्ध थाना सरमथुरा जिला धौलपुर पर प्रकरण संख्या 366/2019 अन्तर्गत धारा 13 आर०पी०जी०ओ० दिनांक 09.12.2019 जिसमें चार्जशीट नम्बर 240 दिनांक 11.12.2019 को पेश न्यायालय की गई एवं ग्राम न्यायालय वसेडी ने अप्रार्थी को दिनांक 19.12.2019 को दोषी करार कर 100रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

जिला मजिस्ट्रेट  
धौलपुर (राज०)

प्रकरण संखुतल 70/2023 अंतर्गत धलरल 13 आर0पी0जी0ओ0 दलनलंक 17.02.2023 ललसमें चलरुजशीट नुडुबर 26 दलनलंक 28.02.2023 कुु पेश नुतलललतुत कुी गई एव एमजेएम नुतलललतुत सरमथुरल ने अपुरलरुथी कुु दलनलंक 31.03.2023 कुु दुुषी करलर कर 100रु कुे अरुथदणुड से दणुडलत कुलतल। प्रकरण संखुतल 106/2023 अंतर्गत धलरल 13 आर0पी0जी0ओ0 दलनलंक 24.03.2023 ललसमें चलरुजशीट नुडुबर 99 दलनलंक 25.05.2023 कुु पेश नुतलललतुत कुी गई एव एमजेएम नुतलललतुत सरमथुरल ने अपुरलरुथी कुु दलनलंक 17.06.2023 कुु दुुषी करलर कर 100रु कुे अरुथदणुड से दणुडलत कुलतल। प्रकरण संखुतल 151/2023 अंतर्गत धलरल 13 आर0पी0जी0ओ0 दलनलंक 25.04.2023 ललसमें चलरुजशीट नुडुबर 77 दलनलंक 21.05.2023 कुु पेश नुतलललतुत कुी गई एव एमजेएम नुतलललतुत सरमथुरल ने अपुरलरुथी कुु दलनलंक 17.06.2023 कुु दुुषी करलर कर 100रु कुे अरुथदणुड से दणुडलत कुलतल। प्रकरण संखुतल 177/2023 अंतर्गत धलरल 13 आर0पी0जी0ओ0 दलनलंक 11.05.2023 ललसमें चलरुजशीट नुडुबर 83 दलनलंक 21.05.2023 कुु पेश नुतलललतुत कुी गई एव एमजेएम नुतलललतुत सरमथुरल ने अपुरलरुथी कुु दलनलंक 21.06.2023 कुु दुुषी करलर कर 100रु कुे अरुथदणुड से दणुडलत कुलतल। प्रकरण संखुतल 250/2023 अंतर्गत धलरल 13 आर0पी0जी0ओ0 दलनलंक 25.06.2023 ललसमें चलरुजशीट नुडुबर 139 दलनलंक 30.06.2023 कुु पेश नुतलललतुत कुी गई एव एमजेएम नुतलललतुत सरमथुरल ने अपुरलरुथी कुु दलनलंक 16.08.2023 कुु दुुषी करलर कर 100रु कुे अरुथदणुड से दणुडलत कुलतल। अपुरलरुथी कुे वलरुदुध दरुज प्रकरणुु कुु मधुतनजर ररुखते हुतुे उक्त अपुरलरुथी ने अपने वुतुतलगत आरुथलक ललभ कुे ललतुे नवतुतुल पीढी कुु जुआ सटुटे कुी आपुरलधलक लत लगल दी है तथल अपुरलरुथी कुी गतलवलधलतल अवैध एव संमलज वलरुधुी हुु गई है ललससे संमलज में भतु संनुतुरलस व आम नलगरलक कुल ललतुन खतरे में हुु गतुल है। अतः अपुरलरुथी कुे वलरुदुध रलजसुथलन गुणुडल नलरतुरण अधलनलतुत 1975 कुी धलरल 3(3) कुे तहत करुतुवलही कुी ललतुे।

प्रलरुथनल पतुर दरुज रलजसुटर कुलतुल ललकर अपुरलरुथी कुु नुुओतलस इस आशतु कुल ललरुी कुलतुल गतुल, कुल उसे इस संडुधन में कुुई आपुरतुतल हुु, तुु वलह इस नुतलललतुत में उपुरसुथलत हुुकर करलण डतलतुे।

अपुरलरुथी कुी ओर से शुरी हरलवलरुी संलह अधलडलषक ने अपना वकललतनलडल पेश कुलतुल, अपुरलरुथी धुरलरल डलर-डलर ललडलव हुेतु संडुतु ललहल गतुल। कुई डलर डुुल कुु दलतुे ललने कुे उपुरलंत डुी अपुरलरुथी धुरलरल ललडलव पेश नुही कुलतुल गतुल। नुतलतुललतुत में अंतुतुल अवसर दलतुे ललने कुे डलद डुी ललडलव प्रसुतुत नुही कुलतुल गतुल। अंतुतुत में अधलडलषक अपुरलरुथी ने ललडलव पेश करुने से इंकलर कुलतुल गतुल तथल नुुओतलस कुल ललडलव प्रसुतुत नुही कुलतुल।

प्रलरुथी ने अपने प्रलरुथनल पतुर कुे संडुतुन में गवलहलन सुुकी, प्रकरण संखुतल 366/2019 प्रतल एफ.आई.आर. प्रतल चलरुजशीट, प्रतल डुैसलल, प्रकरण संखुतल 70/2023 प्रतल एफ.आई.आर., प्रतल चलरुजशीट, प्रतल डुैसलल, प्रकरण संखुतल 106/2023 प्रतल एफ.आई.आर., प्रतल चलरुजशीट, प्रतल डुैसलल, प्रकरण संखुतल 151/2023 प्रतल एफ.आई.आर., प्रतल चलरुजशीट, प्रतल डुैसलल, प्रकरण संखुतल 177/2023 प्रतल एफ.आई.आर., प्रतल चलरुजशीट, प्रतल डुैसलल, प्रकरण संखुतल 250/2023 प्रतल एफ.आई.आर., प्रतल चलरुजशीट, प्रतल डुैसलल, प्रसुतुत कुी है। अपुरलरुथी ने कुुई दसुतलवेज डुी पेश नुही कुलतुल है।

  
 लललल डलजसुटुरे  
 धुुलपुर (रलज0)

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी के विरुद्ध 06 माह की समयावधि के दौरान पांच बार दोषसिद्ध कर अर्थ दण्ड से न्यायालय द्वारा दण्डित किया है। किन्तु अप्रार्थी अपनी आदतों से वाज नहीं आ रहा है। अप्रार्थी अब्बल दर्जे का आदतन सट्टा/जुआ खेलने का आदि है जो सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टेबाजी करते हुआ कई बार पकड़ा गया है। अप्रार्थी की गतिविधिया अवैध एवं समाज विरोधी हो गई है जिससे समाज में भय सन्त्रास व आम नागरिक का जीवन खतरे में हो गया है। उक्त प्रकरणों व उसकी आपराधिक गतिविधियों के आधार पर अप्रार्थी राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख)(V)(VIII) की तारीफ में आता है जिसे गुण्डा घोषित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही की जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी मौखिक बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी एक सभ्य परिवार का व्यक्ति है जो मेहनत मजदूरी करता है। अप्रार्थी एक सीधा-सादा व्यक्ति है, और उसने कभी भी शांति भंग नहीं की और ना ही कोई वारदात घटित की है। अप्रार्थी के द्वारा कभी भी जूए एवं सट्टे का कोई अवैध कारोबार नहीं किया गया है। कथन किया कि अप्रार्थी को गलत तथ्यों के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत नोटिस दिया गया है। अप्रार्थी के खिलाफ कोई ऐसा गम्भीर अपराध नहीं है जिससे अप्रार्थी के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत अपराध बनता हो।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 यद्यपि लोक व्यवस्था को कायम रखने की दृष्टि से गुण्डों पर नियंत्रण करने और उनको दबाने के लिये विशेष उपबंध बनाने का अधिनियम है, तदपि नागरिकों की सामान्य स्वतंत्रताओं को भी अक्षुण्ण रखना लोक व्यवस्था के लिये आवश्यक है। अधिनियम की धारा 2 में शब्द गुण्डा को निम्न रूप से परिभाषित किया गया है :-

“(ख) “गुण्डा” से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जो-

1. स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य अथवा नेता या मुखिया के रूप में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अध्याय 16, 17 या 22 अथवा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 290 से 294 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने का अभ्यस्त है, या करने का प्रयास करता है, या करने के लिये प्रेरित करता है, अथवा
2. सप्रेषन ऑफ इम्मोरल ट्रेफिक इन वुमन एण्ड गर्ल्स अधिनियम 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 104) के अधीन दोषी ठहराया गया हो, अथवा
3. राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा
4. अफीम अधिनियम, 1878 (1878 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) या एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा

  
 जिला मजिस्ट्रेट  
 धौलपुर (राज0)

5. राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के अधीन कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा  
 6. महिलाओं एवं लड़कियों पर अभ्यासतः अशिष्ट टिप्पणी करता या उन्हें छेड़ता हुआ पाया गया हो, अथवा

7. हिंसात्मक कार्यो या बल प्रदर्शन द्वारा कानून का पालन करने वालों को कष्ट देने का अभ्यासी पाया गया हो, अथवा

8. जो सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने या बलवा करने का अभ्यासी हो या जो बलपूर्वक चंदे का संग्रह अथवा अपने या दूसरों के अवैध आर्थिक लाभ हेतु लोगों को धमकी देने का अभ्यस्त हो या जो व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति की चेतावनी, खतरा या नुकसान करने का अभ्यस्त हो।

स्पष्टीकरण :- किसी व्यक्ति के सम्बंध में खण्ड में जहाँ किसी "अभ्यस्त" या "अभ्यासी" शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो इससे ऐसे व्यक्ति का अभिप्राय है, जो धारा 3 के अंतर्गत किसी कार्यवाही के आरम्भ में तुरन्त पूर्व छः माह की अवधि के दौरान कम से कम तीन अवसरों पर खण्ड (1), (6), (7) या (8) में वर्णित यथास्थिति, अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो।"

प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी के विरुद्ध निम्न मुकदमों का उल्लेख किया है:- प्रकरण संख्या 366/2019 अन्तर्गत धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 09.12.2019 जिसमें चार्जशीट नम्बर 240 दिनांक 11.12.2019 को पेश न्यायालय की गई एवं ग्राम न्यायालय वसेडी ने अप्रार्थी को दिनांक 19.12.2019 को दोषी करार कर 100रु के अर्थदण्ड से दण्डित किय प्रकरण संख्या 70/2023 अन्तर्गत धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 17.02.2023 जिसमें चार्जशीट नम्बर 26 दिनांक 28.02.2023 को पेश न्यायालय की गई एवं एमजेएम न्यायालय सरमथुरा ने अप्रार्थी को दिनांक 31.03.2023 को दोषी करार कर 100रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण संख्या 106/2023 अन्तर्गत धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 24.03.2023 जिसमें चार्जशीट नम्बर 99 दिनांक 25.05.2023 को पेश न्यायालय की गई एवं एमजेएम न्यायालय सरमथुरा ने अप्रार्थी को दिनांक 17.06.2023 को दोषी करार कर 100रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण संख्या 151/2023 अन्तर्गत धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 25.04.2023 जिसमें चार्जशीट नम्बर 77 दिनांक 21.05.2023 को पेश न्यायालय की गई एवं एमजेएम न्यायालय सरमथुरा ने अप्रार्थी को दिनांक 17.06.2023 को दोषी करार कर 100रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण संख्या 177/2023 अन्तर्गत धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 11.05.2023 जिसमें चार्जशीट नम्बर 83 दिनांक 21.05.2023 को पेश न्यायालय की गई एवं एमजेएम न्यायालय सरमथुरा ने अप्रार्थी को दिनांक 21.06.2023 को दोषी करार कर 100रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण संख्या 250/2023 अन्तर्गत धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 25.06.2023 जिसमें चार्जशीट नम्बर 139 दिनांक 30.06.2023 को पेश न्यायालय की गई एवं एमजेएम न्यायालय सरमथुरा ने अप्रार्थी को दिनांक 16.08.2023 को दोषी करार कर 100रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया। जो अधिनियम की धारा 2(ख) की उपधारा 5 के अन्तर्गत आते हैं। अप्रार्थी अधिनियम 1975 के उद्देश्यों के लिए गुण्डा हैं, जिसके विरुद्ध धारा 3 के

जिला मजिस्ट्रेट  
 धौलपुर (राज0)

अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना उचित होगा। क्योंकि धारा 2 (ख) की उपधारा 5 में यह उल्लेख है कि " राजस्थान सार्वजनिक जूआ अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के तहत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो,

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अप्रार्थी राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के उद्देश्यों के लिए गुण्डा हैं और उसकी गतिविधियों से धौलपुर जिले के व्यक्तियों को नुकसान हो रहा है और होने की सम्भावना है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 जिस बुराई को रोकने के लिए यथा लोक व्यवस्था की स्थिति को कायम रखने के लिए गुण्डों पर नियंत्रण करने व उनको दबाने के लिए जो विशेष उपबन्ध करता है वह इस प्रकरण में पूरी तरह साबित हैं और अप्रार्थी को अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत जिला धौलपुर से निष्कासित किया जाना पूर्णतः न्यायोचित और विधिसम्मत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी अमरसिंह पुत्र बद्री जाति प्रजापति उम्र 32 वर्ष निवासी वैदलपाडा कस्बा सरमथुरा थाना सरमथुरा जिला धौलपुर को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत 15 दिवस के लिये जिला धौलपुर से निष्कासित कर जिला करौली में रहने के आदेश दिये जाते हैं। उपरोक्त अवधि में अप्रार्थी जिला करौली में रहेगा जहाँ वह शान्ति व्यवस्था कायम रखेगा व कोई आग्नेय-अस्त्र शस्त्र अपने पास नहीं रखेगा। यदि उसके पास लाईसेन्सी हथियार है तो उसे अपने नजदीकी थाने में जमा करायेगा। अप्रार्थी प्रथमतः पुलिस अधीक्षक करौली के यहाँ उपस्थित देगा, जहाँ से पुलिस अधीक्षक करौली के निर्देशानुसार बताये गये थाने में प्रत्येक सोमवार को अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक धौलपुर अप्रार्थी को पुलिस अधीक्षक करौली के यहाँ उपस्थिति हेतु पाबन्द करेगा। इस आदेश की पालना हेतु पुलिस अधीक्षक धौलपुर, पुलिस अधीक्षक करौली के नियंत्रण में अप्रार्थी अमरसिंह पुत्र बद्री जाति प्रजापति उम्र 32 वर्ष निवासी वैदलपाडा सरमथुरा थाना सरमथुरा जिला धौलपुर को सुपुर्द कर पालना सुनिश्चित करायेगा। 15 दिवस पूरे होने पर अप्रार्थी अमरसिंह जब पुनः धौलपुर जिले की सीमा में प्रवेश करेगा तो इसकी सूचना वह जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को देगा। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर व जिला पुलिस अधीक्षक करौली को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



( श्रीनिधि बी टी )  
 कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
 धौलपुर